



फा.सं. I(22)02/Adm/Tent & Light/2023-1259-1260

दिनांक : 16.03.2023

**:: निविदा सूचना ::**

मध्य-प्रदेश इकाई में अफीम फसल वर्ष 2022-23 के लिए मंदसौर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय खण्ड के अफीम तौल केन्द्रों पर शामियाना, कनात एवं बिजली के सामान आदि किराए पर सप्लाई हेतु निविदाएँ पुनः आमंत्रित की जाती हैं—

- 1 केन्द्रों पर अफीम तौल कार्य माह अप्रैल, 2023 के प्रथम सप्ताह से आरंभ होने की संभावना है, जो की लगभग 20 दिनों तक चलेगा।
- 2 इच्छुक फर्म अपनी मुहरबंद निविदाओं के लिफाफे दिनांक 21.03.2023 13:00 बजे तक कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 21.03.2023 13:00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 3 इच्छुक फर्म को अपनी निविदाएं दो प्रकार की प्रणालियों में जमा करनी होगी, जो की निर्धारित प्रोफार्म (अनुलग्नक- I और II) में (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली है।
- 4 तकनीकी बोलियों (Technical Bids) को केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच की मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 21.03.2023 को 15:00 बजे खोला जाएगा और केवल उन बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां, जो की तकनीकी बोलियों में योग्य है, दिनांक 21.03.2023 को 15:00 बजे कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त "नारकोटिक्स हाऊस" राजस्व कॉलोनी, नीमच (म.प्र.) में खोली जाएंगी।
- 5 न्यूनतम दरों (सभी करों सहित) वाले एक ही सफल निविदादाता को एक तौल केन्द्र के लिये कार्यादेश दिया जायेगा। न्यूनतम दरें एक से अधिक समान होने की स्थिति में जीएसटी पंजीकरण वाले निविदादाता को प्राथमिकता दी जावेगी।
- 6 जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की प्रति, यदि हो तो लगावें।
- 7 प्रत्येक निविदादाता को प्रत्येक तौल केन्द्र हेतु अलग-अलग निविदाएं प्रस्तुत करनी होगी।
- 8 तौल कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के संबंध में प्रत्येक जिला अफीम अधिकारी कार्यालय से प्राप्त अलग-अलग मांग-पत्र निविदा सूचना के साथ संलग्न की गई है। निविदादाता द्वारा प्रत्येक तौल केन्द्र के मांग-पत्र अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली अलग-अलग निविदाओं के साथ अनुलग्नक-IV में प्रत्येक सामग्री हेतु प्रतिदिन के आधार पर किराये की दर प्रदान करना अनिवार्य है।

**नियम एवं शर्तें**

1. उपरोक्त सामान की आपूर्ति संबंधित जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के तौल केन्द्रों पर करनी होगी। समस्त सामान को तौल प्रारंभ होने वाले केन्द्र पर पहुँचाने तथा तौल समाप्त वाले दिन केन्द्र से वापस उठाने की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी।
- 3 निविदादाता को प्रत्येक तौल केन्द्र पर कार्य करने हेतु संबंधित जिला अफीम अधिकारी कार्यालय के मांग-पत्र अनुसार ही दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में अपनी निविदा देनी होगी। जिसमें पहले लिफाफे पर "अफीम तौल कार्य हेतु टेण्ट एवं लाईट की निविदा तौल केन्द्र..... हेतु तकनीकी बोली" एवं दूसरे लिफाफे पर "अफीम तौल कार्य हेतु टेण्ट एवं लाईट की निविदा तौल केन्द्र..... हेतु वित्तीय बोली" लिखा हो।
4. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रु. 10,000/- (रुपये दस हजार) मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम पर देय हो, वित्तीय बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा एवं धरोहर राशि के ड्राफ्ट की एक प्रतिलिपि (copy) तकनीकी बोली वाले लिफाफे के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

5. यदि निविदादाता बोली में चयन होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं कार्यदेश दूसरी सबसे कम दर वाले निविदादाता को प्रदान कर दिया जावेगा, जिसके बारे में पुनः विचार नहीं किया जावेगा।
6. प्रत्येक तौल केन्द्र पर जनरेटर चलाने व अन्य सामान के रखरखाव के लिए फर्म का एक व्यक्ति हमेशा केन्द्र पर रहेगा जिसका कोई व्यय विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा।
7. सभी सामान प्रत्येक जिला अफीम अधिकारी कार्यालय की आवश्यकतानुसार सही हालत में प्रदाय करना होगा। सामान की टूट-फूट व खोने की जिम्मेदारी स्वयं फर्म की होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार/क्लेम मान्य नहीं होगा।
8. इस संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में 10:00 बजे से 18:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में श्री सुधीर यादव, अधीक्षक से फोन नं. 07423-297792 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
9. फर्म द्वारा सप्लाई किया गया सामान व उसकी देखभाल संतोषजनक नहीं होने पर फर्म का भुगतान रोका जा सकता है, अथवा कटौती की जा सकती है। यदि कोई सामान पुराना व खराब पाया जाता है तो जिला अफीम अधिकारी अन्य फर्मों से सामान मंगवा सकते हैं, जिसका भुगतान निविदादाता के भुगतान से काटा जायेगा।
10. निविदादाता दर देते समय कृपया ध्यान रखें कि इन सामानों के साथ उपयोग में आने वाले आवश्यक सामान यथा बॉक्स, रस्सी, बांस बेरीकेट्स अथवा बिजली के तार, प्लग बोर्ड, एम.सी.बी., पैनल बोर्ड आदि शामिल है। इसके लिए अलग से कोई चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं है।
11. शामियाना एवं अन्य सामान की क्वालिटी उत्तम होनी चाहिए। यदि शामियाना, दरियाँ, कारपेट तथा अन्य सामानों की क्वालिटी खराब अथवा निम्न स्तर की पाई गई तो बिल की राशि में कटौती की जायेगी।
12. श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये एक या सभी निविदा को निरस्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जायेगा। सर्वाधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित रहेगा।
13. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
14. केवल वही फर्म निविदाएँ प्रस्तुत करें जो आयकर रिटर्न भरती है एवं FY 2021-22 (AY 2022-23) की आयकर रिटर्न (ITR) प्रति निविदा के साथ संलग्न करें।



अधीक्षक (कार्यपालक)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री सेल्वा मुरुगन, अधीक्षक, कार्यालय नारकोटिक्स आयुक्त, 19, माल रोड़, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) -474006 को नीलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
2. श्रीमान जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मों को सूचित करें। (केवल ईमेल द्वारा)



अधीक्षक (कार्यपालक)

तकनीकी बोली (Technical Bid)

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2022-23 के तौल केन्द्र.....पर  
टेण्ट एवं लाईट सामग्री किराये पर देने के लिए)

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | टेंडरिंग कंपनी का नाम (कंपनी के संक्षिप्त प्रोफाइल के साथ पंजीकरण का प्रमाण पत्र संलग्न करें)   |  |
| 2 | कंपनी के प्रोप्राइटर/निदेशक का नाम  |  |
| 3 | टेलीफोन नंबर फैक्स और ई-मेल के साथ पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता   |  |
| 4 | ऑपरेटिंग/शाखा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर फैक्स और ई-मेल के साथ   |  |
| 5 | FY 2021-22 (AY 2022-23) की आयकर रिटर्न (ITR) प्रति संलग्न करें।   |  |
| 6 | वस्तु एवं सेवा कर (GST) पंजीकरण संख्या (अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) यदि हो तो।   |  |
| 7 | शपथ पत्र - यह बताते हुए कि कंपनी को पिछले तीन वर्षों में केन्द्र/राज्य सरकार/पीएसयू द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है (प्रतिलिपि संलग्न करें) और न ही किसी भी सरकारी विभागों के साथ कोई मुकदमेबाजी लंबित है। |  |
| 8 | धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में घोषणापत्र (निविदा दस्तावेज में दिये गए एनेक्सर-III में विधिवत हस्ताक्षरित और प्रमाणित)  |  |
| 9 | निविदा दस्तावेज निष्पादित करने के लिए फर्म द्वारा किसी व्यक्ति का प्राधिकरण (authorisation)   |  |

तारीख -

स्थान -

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

**वित्तीय बोली(Financial Bid)**

(केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की म.प्र. इकाई में फसल वर्ष 2022-23 के तौल केन्द्र.....पर  
टेण्ट एवं लाईट सामग्री किराये पर देने के लिए)

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | बोलीदाता फर्म का नाम  |  |
| 2 | पता (टेलिफोन नम्बर एवं फैक्स नम्बर के साथ)  |  |
| 3 | प्रोप्राईटर/निदेशक/भागीदार का नाम व पता<br>(मोबाईल नम्बर सहित)                      |  |
| 4 | अनुलग्नक-IV का कुल योग<br><br>(अनुलग्नक-IV भरकर वित्तीय बोली के साथ संलग्न भी करें) |  |
| 5 | जी.एस.टी. (यदि हो तो)   |  |
|   | <b>कुल राशि (उपरोक्त 4+5)</b>   |  |

तारीख -

स्थान -

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील

धोखाधडी और भ्रष्ट आचार के बारे में घोषणा

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि पिछले तीन वर्षों में, मैं/हम न तो किसी अनुबंध के अनुपालन में असमर्थ रहा/रहे हैं और न ही मैं/हम पर किसी मध्यस्थ अथवा न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई जुर्माना लगाया गया है और न ही किसी भी परियोजना या अनुबंध के मेरे/हमारे भाग पर उल्लंघन के सम्बन्ध में किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से निष्कासित किया गया है।

(क) मैं/हम किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी प्रतिनिधि एजेंट के माध्यम से किसी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधडी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधकारक कार्य में लिप्त नहीं हैं जो कि किसी भी निविदा या प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या किसी भी सरकार, केंद्रीय या राज्य के साथ दर्ज किए गए प्रस्ताव या किसी समझौते के संबंध में हो; तथा

(ख) मैंने/हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि मेरी/हमारी तरफ से कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्रवाई नहीं करेगा या किसी भी भ्रष्ट व्यवहार, धोखाधडी, बलपूर्वक, अवांछनीय कृत्य या प्रतिबंधात्मक कार्य में लिप्त नहीं रहेगा।

मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि हम या हमारे किसी भी एसोसिएट्स को किसी न्यायालय (Court of Law) द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है या न ही किसी नियामक प्राधिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया है या प्रतिकूल आदेश दिये गए हैं, जो अनुबन्ध (Project) को शुरू करने के लिए हमारी क्षमता पर संदेह करता है या जो एक गंभीर अपराध से संबंधित होता है जो समाज की नैतिकता को प्रभावित करता हो।

मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि देश की सुरक्षा और अखंडता से संबंधित मामलों के संबंध में, सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा हम पर न ही कोई आरोप पत्र जारी किया गया है अथवा विधि न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है।


मैं/हमआगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि नियामक प्राधिकरण (Regulatory Authority) द्वारा कोई जांच हमारे या हमारे सीईओ या हमारे निदेशकों/प्रबंधकों/कर्मचारियों के खिलाफ लंबित नहीं है।


तारीख -

स्थान -

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मय सील



|   |   |  |
|---|---|--|
| भारत सरकार<br>केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो<br>कार्यालय जिला अफीम अधिकारी<br>मंदसौर प्रथम खण्ड<br>मंदसौर -458001 (म.प्र.)<br>फोन व फैक्स न. (07422) 241963 |  | Govt. of India<br>Central Bureau Of Narcotics<br>Office of The District Opium Officer Mandsaur-I<br>Division<br>Mandsaur- 458001 (M.P.)<br>Phone & Fax No.(07422)=241963<br>e-mail:-doo-mandsaur1@cbn.nic.in |
| F.No. XV(10)8/OP/Weighment/M-I/2022-23 - 228  |   | Date:- 08-02-2023  |



प्रति,

श्रीमान् अधीक्षक (कार्यपालक)  
 कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त  
 नीमच (म.प्र.)

महोदय,

विषय:- अफीम तौल कार्य वर्ष 2022-23, के लिए टेन्ट एवं विद्युत सामग्री की आवश्यकता के संबंध में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय के पत्र फा.स. I(22)02/Adm /Tent & Light/ 2023-629 दिनांक 02.02.2023।

उपरोक्त विषय में लेख है कि अफीम तौल कार्य वर्ष 2022-23, के लिये इस प्रभाग को टेन्ट एवं विद्युत सामग्री की निम्न प्रकार से आवश्यकता होगी:-

1. टेन्ट सामग्री :-

| क्रमांक | सामग्री का नाम                       | संख्या | तौल केन्द्र का नाम |
|---------|--------------------------------------|--------|--------------------|
| 1       | टेन्ट (18X18) या (15X15) Normal      | 65     | मन्दसौर प्रथम खण्ड |
| 2       | टेन्ट (18X18) या (15X15) Water Proof | 65     |                    |
| 2       | कनात (9X6)                           | 65     |                    |
| 3       | दरी (8X10)                           | 65     |                    |
| 4       | टेबल (2.5X4)                         | 40     |                    |
| 5       | कुर्सी                               | 125    |                    |
| 6       | मेटिंग (50X5)                        | 65     |                    |
| 7       | तखत (6X4)                            | 6      |                    |
| 8       | ड्रम (200 Ltr.)                      | 4      |                    |
| 9       | पर्दे                                | 35     |                    |
| 10      | टेबल कवर                             | 40     |                    |
| 11      | गादी                                 | 25     |                    |
| 12      | चादर                                 | 25     |                    |

2. विद्युत सामग्री :-

| क्रमांक | सामग्री का नाम                | संख्या | तौल केन्द्र का नाम |
|---------|-------------------------------|--------|--------------------|
| 1       | जनरेटर (डीजल सहित) 7.5 के.वी. | 2      | मन्दसौर प्रथम खण्ड |
| 2       | ट्यूबलाइट (40 वाट)            | 40     |                    |
| 3       | हेलोजन (500 वाट)              | 25     |                    |
| 4       | बल्ब (100 वाट)                | 35     |                    |
| 5       | मेगाफोन                       | 1      |                    |
| 6       | Cooler Jumbo                  | 10     |                    |
| 7       | Cooler Dessert                | 15     |                    |
| 8       | सी.एफ.एल. लेम्प 45 वॉट        | 20     |                    |
| 9       | पावर एक्सटेंशन बोर्ड 3 पिन    | 10     |                    |
| 10      | पावर एक्सटेंशन बोर्ड 2 पिन    | 10     |                    |

भवदीय

*Opium*  
 जिला अफीम अधिकारी  
 मंदसौर प्रथम खण्ड

|   |  |   |
|---|--|---|
| भारत सरकार<br>केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो<br>कार्यालय जिला अधीन अधिकारी<br>मन्दासौर द्वितीय खण्ड<br>मन्दासौर - 458001 (ग.प्र.) |  | Govt. of India<br>Central Bureau Of Narcotics<br>Office of The District Opium<br>Officer Mandsaur-II Division<br>Mandsaur-458001 (M.P.) |
| Phone & Fax No.07422241114  | Email: <a href="mailto:ops_mandsaur2@cbn.nic.in">ops_mandsaur2@cbn.nic.in</a>    |   |
| F.No. XV(10)10/अफीम/Weighman/M-II/2022-23   | Date: 03-03-2023   |   |

Adm  
06/2/23



सेवा में  
श्रीमान अधीक्षक (कारपालक),  
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त  
नीमन (मोप्रो)

महोदय,


विषय- अफीम लोन कार्य वर्ष 2021-22 के लिए टेन्ट एवं विद्युत सामग्री की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

कृपया आपके कार्यालय के पत्र फा.सं. I(22)02/Adm/Tent & Light/2023-1025 दिनांक 24.02.2023 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें।


उपरोक्त विषय में चाही गई जानकारी दिए गए प्राकारों में भरकर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

| क्रमांक            | सामग्री का नाम                               | लोन केंद्र का नाम मन्दासौर |             |
|--------------------|--|----------------------------|-------------|
|                    |  | संख्या                     |             |
| 1                  | वाटर प्रूफ टेन्ट                             | 85                         |             |
| 2                  | कनात (9X6)                                   | 85                         |             |
| 3                  | दरी (8X10)                                   | 85                         |             |
| 4                  | टेबल (2.5X4)                                 | 35                         |             |
| 5                  | कुर्ची                                       | 150                        | (प्लास्टिक) |
| 6                  | गेटिंग (50X5)                                | 85                         |             |
| 7                  | बखत (6X4)                                    | 8                          |             |
| 8                  | रूम (300 सीट)                                | 8                          |             |
| 9                  | पट्टे  | 50                         |             |
| 10                 | टेबल कवर                                     | 40                         |             |
| 11                 | गादी   | 20                         |             |
| 12                 | चादर   | 20                         |             |
| 13                 | लॉहे की चारपाई                               | 10                         |             |
| 14                 | बेरीकेट                                      | 400                        | फीट         |
| 2. विद्युत सामग्री |  |                            |             |
| 1                  | जनरेटर (डीजल सहित) 7.5 के.पी.                | 2                          |             |
| 2                  | ट्यूब लाइट (40 वाट)                          | 35                         |             |
| 3                  | हेलोफन (500वाट)                              | 10                         |             |
| 4                  | बल्ब (100 वाट)                               | 10                         |             |
| 5                  | भेगाफोन                                      | 1                          |             |
| 6                  | पेइन्टल फोन                                  | 30                         |             |
| 7                  | कुलर शेजर्ट                                  | 25                         |             |
| 8                  | इनवर्टर/बैट्री सहित                          | 0                          |             |
| 9                  | सी एफ एल. लैम्प 45 वाट, 20 वाट एवं LED Light | 35, 20 एवं 10              |             |
| 10                 | पावर एक्सटेंशन बोर्ड 5 पिन                   | 10                         |             |
| 11                 | पावर एक्सटेंशन बोर्ड 3 पिन                   | 10                         |             |
| 12                 | जम्बो बल्ब                                   | 6                          |             |

नोट- टेन्ट सामग्री के 11, 12, 13 पर निर्दिष्ट गादी, चादर, व लॉहे की चार पाई की आवश्यकता लोन केंद्र पर्युपतिनाय अतिथि गृह पर स्थानान्तरित होने पर होगी।

मुखरीय  
  
जिला अधीन अधिकारी  
मन्दासौर द्वितीय खण्ड



|  |   |  |
|--|---|--|
| भारत सरकार<br>केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो<br>कार्यालय जिला अफीम अधिकारी,<br>मन्दसौर तृतीय खण्ड,<br>मन्दसौर- 458001 (मध्य प्रदेश) |  | Government of India<br>Central Bureau Of Narcotics<br>Office of the District Opium Officer,<br>Mandsaur-III rd Division<br>Mandsaur- 458001 (M.P.) |
| फोन नं.- 07422- 241143 FAX07422-241143   |   | e-mail:-doo-mandsaur3@cbn.nic.in   |
| F.No.XV(10)9/OP/Weighment/2022-23- 50  |   | Dated:- 03.02.2023   |

प्रति,

श्रीमान अधीक्षक (कार्यपालक)  
 कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,  
 नीमच (म. प्र.)

महोदय,

विषय:- अफीम तौल कार्य वर्ष 2022-23 में उपयोग होने वाले उपकरणों की जानकारी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपके पत्र फा. सं. 1(22)02/Adm/Tent&Light/2023-629 दिनांक 02.02.2023।

उपरोक्त सन्दर्भ में वांछित जानकारी निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार है:-

टेन्ट सामग्री:-

| क्रमांक | सामग्री का नाम             | संख्या | तौल केन्द्र का नाम |
|---------|----------------------------|--------|--------------------|
| 1.      | टेन्ट (15 X 15) डबल लेयर्ड | 85     | सीतामऊ             |
| 2.      | कनात (9 X 6)               | 70     |                    |
| 3.      | दरी (8 X 10)               | 50     |                    |
| 4.      | टेबल (2.5 X 4)             | 50     |                    |
| 5.      | कुर्सी मोल्डेड             | 80     |                    |
| 6.      | मेटिंग (50 X 5)            | 75     |                    |
| 7.      | तखत (6 X 4)                | 10     |                    |
| 8.      | ड्रम (200 लीटर)            | 20     |                    |
| 9.      | पर्दे (15 X 10)            | 30     |                    |
| 10.     | टेबल कवर                   | 50     |                    |
| 11.     | गादी (तकीया सहित)          | 45     |                    |
| 12.     | चादर                       | 45     |                    |
| 13.     | लोहे की चारपाई (4 X 6)     | 30     |                    |
| 14.     | वाटर प्रूफ टेन्ट           | 25     |                    |

2. विद्युत सामग्री:-

| क्रमांक | सामग्री का नाम                 | संख्या | तौल केन्द्र का नाम |
|---------|--------------------------------|--------|--------------------|
| 1.      | जनरेटर (डीजल सहित) 10 केवी     | 3      | सीतामऊ             |
| 2.      | ट्यूबलाइट (40 वाट)             | 40     |                    |
| 3.      | LED halogen 100 watt           | 25     |                    |
| 4.      | LED bulb 20 watt               | 20     |                    |
| 5.      | मेगाफोन                        | 1      |                    |
| 6.      | पैंडरटल फैन                    | 30     |                    |
| 7.      | कूलर डेजर्ट बडे (स्टेण्ड सहित) | 30     |                    |
| 11.     | जम्बो कूलर                     | 07     |                    |
| 9.      | CFL Lamp 45 watt               | 30     |                    |
| 10.     | पावर एक्सटेंशन बोर्ड 3 पिन     | 15     |                    |

भवदीय,

*(प्रिंजन गुरु)*

जिला अफीम अधिकारी  
 मन्दसौर तृतीय खण्ड